कुलदीप सिंह

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र, दिल्ली सरकार

6 जुलाई 2006

[एस बी सिन्हा और पी के बालासुब्रमण्यन जे जे]

प्रशासनिक कानून- नीति निर्णय- शराब लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित। बाद में नीतिगत निर्णय लिया गया कि कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लाइसेंस देने की मांग करने वाले आवेदकों द्वारा चुनौती दी गई शराब का व्यापार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आवेदकों को यह अधिकार नहीं मिला कोई अर्जित या निहित अधिकार नीतिगत निर्णय बदला जा सकता था। प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस आवंटन की तारीख निर्दिष्ट करने से आवेदकों को कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता। इस प्रकार वैध अपेक्षा का सिद्धांत आकर्षित नहीं होता - कुछ लाइसेंस दिए जाने के बाद उन्हें जारी करने का आधार नहीं बनता लाइसेंस तब और भी जब आवेदक के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वैध अपेक्षा का सिद्धांत- भारत का संविधान 1950

प्रतिवादी- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कुछ शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में लाइसेंसिंग वर्ष 2004-05 के लिए भारत

निर्मित विदेशी शराब आईएमएफएल की खुदरा बिक्री के लिए एल-52 लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अपीलकर्ताओं केएस, एसके और एसजे ने लाइसेंस देने के लिए आवेदन दायर किया। चूंकि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे, राज्य ने सूचित किया कि कोई भी नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, हालांकि लंबित आवेदन पर विचार किया जाएगा। भारी जन आक्रोश था सरकार ने 9.3.2005 को एक नीतिगत निर्णय लिया कि कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। हालाँकि कुछ आवेदनों पर कार्रवाई की गई। अपीलकर्ता के आवेदनों पर राज्य की उत्पाद शुल्क नीति के संदर्भ में विचार नहीं किया गया इसलिए उन्होंने रिट याचिकाएं दायर की। उच्च न्यायालय ने राज्य को अपीलकर्ताओं को लाइसेंस देने का निर्देश देने वाली रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी। राज्य ने लेटर्स पेटेंट अपीलें दायर कीं जिन्हें अनुमति दी गई। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य ने एल-52 लाइसेंस देने के लिए उनके आवेदनों को अस्वीकार करने में अवैध रूप से और अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया कि राज्य ने चुनो और चुनो की पद्धति अपनाई कि राज्य ने स्वयं लाइसेंस देने की तारीख दी है अपीलकर्ताओं ने उसके संबंध में एक अर्जित अधिकार प्राप्त किया है जिसे प्राप्त करने की आवेदकों को वैध अपेक्षा थी। राज्य के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर लाइसेंस और

यह कि राज्य ने शराब लाइसेंस देने के लिए आवेदनों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनाई हैं वे इसके लिए बाध्य हैं।

प्रतिवादी- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास शराब का व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है कि राज्य ने एक नीतिगत निर्णय अपनाया है इस न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करते हुए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और किसी भी स्थिति में ऐसा कोई मामला नहीं बनता है कि नीतिगत निर्णय किसी अवैधता तर्कहीनता या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त है और न ही किसी दुर्भावना को जिम्मेदार ठहराया गया है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 अपीलकर्ताओं ने राज्य द्वारा अपनाए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किए। हो सकता है कि उन्होंने बड़ी रकम निवेश की हो लेकिन इससे उन्हें कोई अर्जित या निहित अधिकार नहीं मिला। इसलिए जब तक अपीलकर्ताओं द्वारा कोई अर्जित या निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया गया था नीतिगत निर्णय बदला जा सकता था। [343- सी- डी]

लक्ष्मी अम्मा उर्फ इचुमा अमीना बनाम देवस्सी (1970) केएलटी 204 हावड़ा नगर निगम और अन्य बनाम गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य (2004) आईएससीसी 663 संदर्भित।

लोक निर्माण निदेशक एवं अन्य बनाम एचओ पीओ संग और अन्य 1961 एसी 901 संदर्भित।

1.2 शराब के कारोबार के लिए लाइसेंस देने से संबंधित मामला राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और नागरिक को शराब का कारोबार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। यदि राज्य को नीति निर्णय अपनाने का अधिकार था तो उन्हें निर्विवाद रूप से उसमें बदलाव करने संशोधन करने या रद्द करने का अधिकार था। राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के प्रभाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित प्रावधानों के साथ साथ उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में व्यापार के संबंध में विनियमन और नियंत्रण की शक्ति के संबंध में माना जाना चाहिए। [343-डी-ई]

1.3. राज्य ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाइसेंस देने की नीति अपनाई थी। दिनांक 7.2.2005 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार इसका उद्देश्य 70 दुकानों के लिए लाइसेंस देना था। ऐसे लाइसेंस देने के लिए नियम और शर्तें और ऐसे आवेदन दाखिल करने का तरीका और तरीका भी निर्दिष्ट किया गया था। इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी

गई। इसने आवेदकों को यह दर्शाया कि उनके मामलों पर विचार किया जाएगा। कुलदीप सिंह सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अपनी खूबियाँ इस प्रकार इस तरह का विचार निष्पक्ष होना आवश्यक और उचित था।[345-एफ-जी]

पी टी राजन बनाम टी पी एम साहिर और अन्य (2003) 8 एससीसी 498; पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिड बनाम जोरा सिंह और अन्य [2005] 6 एससीसी 776; मप्र राज्य और अन्य वी नंदलाल जयसवाल और अन्य [1986] 4 एससीसी 566 अशोक लेंका बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य। (2006) 4 स्केल 519 और रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राधिकरण और अन्य। [1979] 13 एससीसी 489, पर निर्भर।

2.1 वैध अपेक्षा का सिद्धांत प्रक्रियात्मक या वास्तविक अधिकार का एक स्रोत है। लेकिन उक्त सिद्धांत को लागू करने की प्रासंगिकता यह है कि क्या अपेक्षा वैध थी। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वैध अपेक्षा का निर्धारण भी आवश्यक था। दावेदारों की धारणाएँ उसके लिए प्रासंगिक नहीं होंगी। राज्य की कार्रवाई निर्विवाद रूप से निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। सुशासन के क्षेत्र में अपनी ओर से गैर- मनमानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य को प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग एक बार फिर मनमाने ढंग से या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां

नीतिगत निर्णय में बदलाव कानून में वैध है वहां उसके अनुसरण में या उसके आगे की गई किसी भी कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जा सकता है। [345-जी-एच; 346-ए-सी]

आर बनाम उत्तर और पूर्व डेवोन स्वास्थ्य प्राधिकरण, एकपक्षीय कफ़लान (2001) क्यू बी 213, संदर्भित।

2.2 विज्ञापन में स्पष्ट शर्त के मद्देनजर कि लाइसेंस का अनुदान निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति के अधीन होगा जो आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, अपीलकर्ताओं को कोई वैध उम्मीद नहीं हो सकती थी कि वे हमेशा ऐसा करेंगे। शराब का कारोबार करने का लाइसेंस दिया जाए। एसके के मामले में लाइसेंस देने की तारीख डाल दी गई। उक्त तिथि स्पष्ट रूप से विज्ञापन में दी गई समय- सीमा को ध्यान में रखते हुए दी गई है। इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके आवेदन की सामग्री को वैधानिक आवश्यकताओं के आलोक में सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा किसी ग़लतफ़हमी के तहत किया गया होगा अधिकारियों की ओर से इस तरह की स्पष्ट गलती उन्हें किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करेगी। इसके अलावा एसके ने अपना आवेदन वापस ले लिया ताकि वह दूसरे विक्रेता के लिए आवेदन कर सके। उन्होंने ऐसा आवेदन केवल 8.2.2005 को दायर किया था जिसे राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 6.5.2005 के संदर्भ में स्वीकार किया गया था जिसमें

कोई वादा नहीं था कि लाइसेंस किसी विशेष तिथि तक प्रदान किया जाएगा। अन्यथा भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में आवेदनों पर कार्रवाई करना आवश्यक था, उत्तरदाताओं के लिए उस तारीख निर्दिष्ट करना अस्वीकार्य था जिस दिन पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार यह कोई मामला नहीं है जहां वैध अपेक्षा का सिद्धांत आकर्षित होगा। [346-डी-जी]

अशोक लेंका बनाम ऋषि दीक्षित एवं अन्य (2006) 4 स्केल 519 पर आधारित।

3. जो नीति लागू होगी वह है जो अनुदान की तिथि पर प्रचलित है न कि वह जिस पर आवेदन दायर किया गया था। यदि 16.9.2005 को एल-52 लाइसेंस न देने का नीतिगत निर्णय लिया गया होता तो उक्त तिथि के बाद कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। किसी भी स्थिति में वह अवधि जिसके लिए अपीलकर्ताओं को लाइसेंस निर्देशित किया जा सकता था, समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार यह न्यायालय अगले वर्ष के लिए लाइसेंस देने का निर्देश केवल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कुछ लाइसेंस उक्त तिथि के बाद दिए गए थे विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं के पास इसके संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 अपने साथ एक सकारात्मक

अवधारणा रखता है। अवैधताओं में समानता का दावा नहीं किया जा सकता। [349- बी- ई]

यूपी राज्य बनाम राज कुमार शर्मा [2006] 3 एससीजे 713, पर भरोसा किया।

भारत संघ और अन्य बनाम इंडियन चार्ज क्रोम और अन्य [1999] 7 एससीसी 314 और एसबी इंटरनेशनल लिमिटेड और अन्य बनाम सहायक विदेश व्यापार महानिदेशक और अन्य [1996] 2 एससीसी 439, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2802/2006

दिल्ली उच्च न्यायालय के एलपीए संख्या 2389/05 में दिनांक 7.11.2005 के निर्णय और आदेश से और एलपीए संख्या 2389/05 में समीक्षा याचिका संख्या 337/05 में अंतिम आदेश दिनांक 22.11.05 से।

साथ

सीए क्रमांक 2803 और 2804/06,

गोपाल सुब्रमण्यन, एएसजी टी एस दोआबिया सोली जे सोराबजी मनीष शर्मा अमित भारद्वाज अनिल नाग राजेश त्यागी डॉ अपर्णा भारद्वाज जी आतिशी दीपांकर राजशेखर राव श्री देवी वेंकटस्वामी अनिल कटियार

प्रज्ञान प्रदीप शर्मा चिन्मय अंधेन्दुमौली प्रसाद और डॉ पैरवी करने वाले पक्षकारों की ओर से कैलाश चंद।

न्यायालय का निर्णय एस बी सिन्हा जे द्वारा सुनाया गया।

अनुमति स्वीकृत।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 2002 में एल-52 लाइसेंस जारी करने पर निजी पार्टियों के माध्यम से भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) की बिक्री की अनुमति देते हुए एक उत्पाद शुल्क नीति तैयार की।

वर्ष 1979 तक राज्य में शराबबंदी लागू थी। 1979 से 2003 तक आईएमएफएल और देशी शराब विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से बेची जा रही थी। हालाँकि, उक्त कथित नीति के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में लाइसेंसिंग वर्ष 2004-05 के लिए आईएमएफएल की खुदरा बिक्री के लिए एल-52 लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।

> "(i) यदि प्रस्तावित दुकान का स्थान मौजूदा खुदरा दुकान के 250 मीटर के भीतर है तो निजी क्षेत्र में कोई नया एल-52 लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।

(ii) आवेदक के पास अनुमोदित और मान्यता प्राप्त 500 वर्ग फुट की दुकान का वास्तविक भौतिक कब्जा होना चाहिए।

(iii) प्रस्तावित दुकान निम्नलिखित से 75 मीटर के भीतर नहीं होनी चाहिए (ए) प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (बी) धार्मिक स्थान और (सी) 50 बिस्तरों और उससे अधिक वाले अस्पताल।

(iv) एल-52 लाइसेंस का अनुदान सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति के अधीन होगा जो बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। इसके अलावा लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी लाइसेंस को देने के लिए बाध्य नहीं था जिसके लिए आवेदन किया गया था।

(v) लाइसेंस दिल्ली शराब लाइसेंस नियम 1976 के नियम 33 में सामान्य शर्तों और नियम 34 में विशेष शर्तों के अधीन होना था।"

एल-52 लाइसेंस के प्रासंगिक खंडों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। खंड 12 डीडीए एमसीडी एनडीएमसी आदि जैसे स्थानीय निकायों द्वारा

मान्यता प्राप्त एक अनुमोदित वाणिज्यिक परिसर क्षेत्र में 500 वर्ग फुट की ढकी हुई दुकान के वास्तविक भौतिक कब्जे का प्रावधान करता है। 75 के भीतर शराब की दुकान के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाना था। के मीटर (ए प्रमुख शैक्षणिक संस्थान (बी धार्मिक स्थान (सी पचास बिस्तर और उससे अधिक वाले अस्पताल। प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों को मध्यम और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कॉलेज और एनसीटी दिल्ली सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा के अन्य संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया था। जहां प्रस्तावित परिसर मौजूदा एल-2 एल-52 वेंडर से 250 मीटर के भीतर स्थित था वहां कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाना था। विदेशी शराब लाइसेंस प्रत्येक मामले के आधार पर आवेदनों पर विचार करने के बाद दिए जाने थे। ऐसे आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति के अधीन थे जो बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं और लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी लाइसेंस को देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसके लिए आवेदन किया गया है। हालाँकि, इसके लिए एक समय- सारिणी तय की गई थी कि लाइसेंस मंजूरी मिलने के 30 दिनों के भीतर दिया जाना था।

उक्त विज्ञापन के अनुसरण में या उसे आगे बढ़ाते हुए अपीलकर्ताओं ने लाइसेंस प्रदान करने के लिए अपने संबंधित आवेदन दायर किए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में आवेदन दायर किए गए थे

राज्य ने 7.2.2005 को एक सार्वजनिक सी नोटिस जारी कर योजना को बंद करने की अधिसूचना जारी की। हालाँकि, यह स्पष्ट किया गया कि लंबित आवेदनों पर योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा और कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जबकि कुलदीप सिंह के मामले में उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था सुरिंदर कटियाल के मामले में अपीलकर्ता ने अपना आवेदन वापस ले लिया ताकि उन्हें एक अलग साइट पर एक और आवेदन दाखिल करने में सक्षम बना सके।

कुलदीप सिंह ने अपने आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। दिनांक 11.5.2005 के एक आदेश द्वारा इसकी अनुमति दी गई थी और मामले को कलेक्टर उत्पाद शुल्क को इस निर्देश के साथ भेज दिया गया था कि तथ्यों का पता लगाने के लिए नए सिरे से निरीक्षण किया जाए और पाया गया कि पिछला निरीक्षण ठीक से नहीं किया गया था। इसके अनुसरण में मई 2005 में परिसर का नये सिरे से निरीक्षण किया गया।

अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ- साथ उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं और आरोप लगाया कि राज्य की उत्पाद शुल्क नीति के संदर्भ में उनके आवेदनों पर विचार नहीं किया गया था। सदाराम गुप्ता के मामले में प्रतिवादियों को खुदरा शराब की दुकान चलाने के लिए

एल-52 लाइसेंस देने के उनके आवेदन को उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ- साथ 16.9.2005 को या उससे पहले मौजूद नीति पर निपटाने के निर्देश जारी किए गए थे। हालाँकि मार्च के महीने में या उसके आसपास राज्य की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में एक बड़ी सार्वजनिक प्रतिक्रिया हुई थी।

रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी विरोध दर्ज कराया। राज्य उक्त नीति को जारी रखेगा या नहीं इस निर्णय के लिए मामले को कैबिनेट के पास भेजा गया था। 9 मार्च 2005 को या उसके आसपास एक निर्णय लिया गया कि विभाग द्वारा कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। आश्चर्यजनक रूप से इसके बावजूद आवेदनों पर इस कथित आधार पर कार्रवाई की गई कि इस स्थिति में, जी एच राज्य को अपनी शराब नीति को जारी रखने के संबंध में अनुमोदन का निर्देश देना था। इसके तुरंत बाद लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं।

हालाँकि मामले को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया था बताएं, जिसके बाद निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

> "(i) लाइसेंस देने की प्रक्रिया मार्च 2005 के महीने में रोक दी गई थी।

(ii) चूंकि दुकानें खोलना सरकार की नीति का मामला है इसलिए निर्णय लिया गया वर्ष- दर- वर्ष आधार पर अंतिम समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है वर्ष की नीति और कोई और एल-52 लाइसेंस देने पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) उपर्युक्त सभी खुदरा विक्रेताओं थोक बांड और विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंस प्राप्त परिसरों के लिए उत्पाद शुल्क कानून के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और राजस्व चोरी का पता लगाने रोकने के लिए प्रभावी और कुशल प्रवर्तन की आवश्यकता है। आवश्यकता के विपरीत लाइसेंस प्राप्त परिसरों की दी गई संख्या को कवर करने के लिए 115 इंस्पेक्टर और सब- इंस्पेक्टर हैं विभाग के पास अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए केवल 51 का कंकाल निरीक्षणालय स्टाफ है। विभाग के विचार में कोई भी नया एल- खोलना उचित नहीं होगा।

(iv) उपरोक्त प्रस्ताव सरकार की निषेध नीति को ध्यान में रखते हुए और भी अधिक प्रासंगिक है जिसका उद्देश्य शराब पीने को हतोत्साहित करना है। निषेध निदेशालय एनसीटी दिल्ली सरकार लोगों विशेष रूप से

युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षित करती है। विभिन्न माध्यमों से शराब के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है और सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके शराबबंदी का संदेश दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में शराब की दुकानों का अनियंत्रित प्रसार सरकार के समग्र उद्देश्य के खिलाफ होगा जैसा कि अनुच्छेद 47 में कहा गया है। भारत का संविधान।

(v) आवेदन आमंत्रित करते समय आवश्यक दुकानों की संख्या या जिन क्षेत्रों में उन्हें खोला जाना था उनका उल्लेख नहीं किया गया था। तय नीति के अनुसार ऐसी दुकानें खोलने के खिलाफ जनता में आक्रोश की जबरदस्त लहर थी और मानदंडों के परिणामस्वरूप प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा और लंबित आवेदनों को स्थगित रखना पड़ा।

(vi) "उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार के नीति निर्देशों द्वारा अस्वीकृति का आदेश आवश्यक है कलेक्टर (आबकारी) द्वारा एक उपयुक्त और तर्कसंगत आदेश पारित किया जा सकता।"

उक्त प्रस्ताव को वित्त मंत्री ने मंजूरी दे दी। कार्यकारी व्यवसाय के नियमों के तहत इसके लिए सक्षम। वित्त मंत्री के उक्त निर्णय पर मंत्रिपरिषद ने मुहर लगा दी हालाँकि उच्च न्यायालय ने उसके समक्ष लंबित रिट आवेदनों में निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी के बी निर्णय को तीन दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है। संग्राहक उत्पाद शुल्क ने दिनांक 22.11.2004 के विज्ञापन के अनुसार प्राप्त सभी आवेदनों को 20 सितंबर, 2005 के एक आदेश द्वारा 16.9.2005 को लिए गए सरकार के कथित नीतिगत निर्णय पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर खारिज कर दिया।

हालाँकि, रिट याचिकाओं में पारित पहले के आदेशों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी जिसमें राज्य को निर्देश दिया गया कि वह याचिकाकर्ताओं को एक महीने के भीतर लाइसेंस प्रदान करें, यदि रिट याचिकाकर्ताओं ने सभी आवश्यकताओं को पूरा किया हो। इसलिए, 16.9.2005 से पहले। इसके विरुद्ध दायर पत्र पेटेंट अपीलों को आक्षेपित निर्णय के कारण अनुमति दी गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वकील ने दलील दी

(i) राज्य ने अपीलकर्ताओं को एल-52 लाइसेंस देने के आवेदनों को अस्वीकार करने में अवैध रूप से और बिना अधिकार क्षेत्र के काम किया,

जहां तक कि 9 मार्च 2005 के बाद भी न केवल दूसरों के मामलों पर विचार किया गया था बल्कि लाइसेंस भी दिए गए थे। अवधि 11.3.2005 और 28.4.2005।

(ii) राज्य ने इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए पिक एंड चूज पद्धति अपनाई कि लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाना था।

(iii) राज्य ने स्वयं ही लाइसेंस प्रदान करने की तारीख बता दी है। अपीलकर्ताओं को लाइसेंस 10.1.2005 को जारी किया जाएगा और उसके संबंध में एक अर्जित अधिकार प्राप्त किया।

(iv) उच्च न्यायालय ने राज्य को अपीलकर्ताओं द्वारा समान नियमों और शर्तों पर दायर आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया है राज्य इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। आवेदकों को राज्य के नीतिगत निर्णय के मद्देनजर लाइसेंस प्राप्त करने की वैध उम्मीद थी और इस प्रकार वह ऐसे लाइसेंस देने से इनकार नहीं कर सकता था। शराब लाइसेंस देने के लिए आवेदनों के निपटान के लिए विशेष प्रक्रियाएं अपनाने वाले राज्य इसके लिए बाध्य थे।

(v) शराब लाइसेंस देने के लिए आवेदन के निपटान के लिए विशेष प्रक्रियाओं को अपनाने वाले राज्य इसके लिए बाध्य थे।

दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए श्री गोपाल सुब्रमण्यम ने प्रस्तुत किया।

(i) अपीलकर्ताओं के पास व्यापार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

(ii) राज्य ने एक नीतिगत निर्णय अपनाया है इस न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करते हुए न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी घटना में, ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि नीतिगत निर्णय किसी अवैधता अतार्किकता या प्रक्रियात्मक अनौचित्य से ग्रस्त है और न ही नीतिगत निर्णय के संबंध में किसी दुर्भावना को जिम्मेदार ठहराया गया है, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

(iii) जिन पक्षों के पक्ष में लाइसेंस दिए गए हैं वे रिट याचिकाओं के लिए आवश्यक पक्ष थे और उनकी अनुपस्थिति में रिट याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता था।

अपीलकर्ताओं ने राज्य द्वारा अपनाए गए नीतिगत निर्णय के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन दायर किए। हो सकता है कि उन्होंने बड़ी रकम निवेश की हो लेकिन इससे कोई अर्जित या निहित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। शराब के कारोबार के लिए लाइसेंस देने से संबंधित मामला

राज्य के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। यदि राज्य को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार था तो उन्हें निर्विवाद रूप से उसमें बदलाव करने, संशोधन करने या रद्द करने का भी अधिकार था। राज्य द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय के प्रभाव को भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित प्रावधानों के साथ- साथ उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में व्यापार के संबंध में विनियमन और नियंत्रण की शक्ति के संबंध में माना जाना चाहिए।

हालाँकि, जिस तरह से मामलों को निपटाया गया है, उसके संबंध में हमें अपना असंतोष व्यक्त करना चाहिए। यदि 9 मार्च 2005 को एक सक्षम प्राधिकारी अर्थात् वित्त मंत्री द्वारा कोई नीतिगत निर्णय लिया गया था तो हम कोई कारण नहीं देख पाते हैं कि राज्य के अधिकारी दायर किए गए आवेदनों के प्रसंस्करण को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद भी आवेदकों द्वारा यह स्पष्टीकरण देने की मांग की गई कि ऐसा इस आधार पर किया गया था कि कैबिनेट इसे मंजूरी नहीं दे सकती है हमारी राय में यह एक बाद का विचार है। हालाँकि अन्य आवेदनों पर कार्रवाई की गई लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट आवेदन दायर करने वाले अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदनों पर विचार नहीं किया गया। यह किसी भी गलती से परे है कि आवेदकों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी के साथ-

साथ उनके समान स्थिति वाले लोगों के हाथों उचित विचार प्राप्त करने की आवश्यकता थी।

जहां तक बात है कुलदीप सिंह के मामले की तो उनकी अर्जी थी। आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में नये सिरे से विचार किये जाने की आवश्यकता है। जहां तक सदाराम गुप्ता के मामले का सवाल है उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के संदर्भ में इस पर विचार किया जाना आवश्यक था। सुरिंदर कटियाल के मामले में हालांकि उन्होंने अपना पिछला आवेदन वापस ले लिया था और एक अलग जगह पर लाइसेंस देने के लिए एक नया आवेदन दायर किया था स्थानांतरण के लिए उनके तर्क को प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था जैसा कि दिनांक 6.5.2005 के पत्र से पता चलता है।

"कहा गया था आपके दिनांक 2.2.2005 और 8.2.2005 के पत्र के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि यूजी-1,2,3, रोड नंबर 44, प्लॉट नंबर 27, सागर प्लाजा से प्रस्तावित शराब को स्थानांतरित करने का आपका अनुरोध पीतमपुरा सामुदायिक केंद्र नई दिल्ली से जी-11-12, वर्धमान वेस्टर्न प्लाजा बेहरा एन्क्लेव पश्चिम विहार दिल्ली 63 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

इसलिए आपको अपने नए प्रस्तावित के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेज यानी वाणिज्यिक प्रमाण, किराया समझौता शराब की दुकान

चलाने के लिए एनओसी, स्वामित्व प्रमाण, शपथ पत्र साइट योजना जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

परिसर द्वारा दायर आवेदनों पर विचार करने के उद्देश्य से आवेदकों के लिए निम्नलिखित समय- सीमा निर्दिष्ट की गई थी।

आवेदन की जांच	दिनों की संख्या	संचयी योग
कमी ज्ञापन जारी करना, यदि कोई भी\स्थल निरीक्षण हेतु अनुमोदन	10 दिन	10 दिन
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट	10 दिन	20 दिन
लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रस्ताव पत्र जारी करना	04 दिन 06 दिन	24 दिन 30 दिन

यद्यपि उत्तरदाताओं के लिए इसका पालन करना अनिवार्य नहीं था, क्योंकि यह प्रकृति में निर्देशिका थी इसे होना आवश्यक था। काफी हद तक अनुपालन किया गया। [पी टी देखें राजन बनाम टी पी एम साहिर और अन्य 2003] जी एंड एससीसी 498 और पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड बनाम ज़ारा सिंह और अन्य।

हालाँकि यहाँ राज्य ने अपने नीतिगत निर्णय में बदलाव किया था। जाहिर तौर पर अधिक राजस्व जुटाने की दृष्टि से निजी उद्यमियों के लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं। इसने आवेदकों को यह दर्शाया कि उनके मामलों पर उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। अतः इस प्रकार का विचार किया जाना आवश्यक था। निष्पक्ष और तर्कसंगत हालाँकि शराब का व्यापार करना जैसा कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, मौलिक अधिकार नहीं है लेकिन निर्विवाद रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता खंड लागू होगा।

मप्र राज्य में और अन्य बनाम नंदलाल जयसवाल और अन्य (1986) 4 एससीसी 566 जिस पर विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने स्वयं बी पर भरोसा किया। इस न्यायालय ने कहा-

> "कोई भी राज्य के विरुद्ध शराब का व्यापार या व्यवसाय करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और राज्य को शराब के निर्माण और बिक्री के अपने विशेष अधिकार या विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब राज्य दूसरों को ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार देने का निर्णय लेता है राज्य अनुच्छेद 14 की कठोरता से बच नहीं सकता।"

अशोक लेंका बनाम ऋषि दीक्षित और अन्य भी देखें (2006) 4 स्केल 519

इसके अलावा यदि समानता खंड लागू होता तो राज्य इसे नहीं अपना सकता था। विभिन्न आवेदकों के लिए अलग- अलग प्रक्रियाएँ। रमना दयाराम शेट्टी बनाम डी देखें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य 1979] 3 एससीसी 489 पैरा।

इसके अलावा, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हमारे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का कोई संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे कि इस तरह के नीतिगत निर्णय का राज्य के अनुसार सख्ती से पालन कैसे किया गया था। छह अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस दिए गए थे। हालाँकि, हम विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए बयानों को रिकॉर्ड पर रखना चाहेंगे कि राज्य उक्त लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई करेगा।

राज्य ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाइसेंस देने की नीति अपनाई थी। दिनांक 7.2.2005 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, इसका उद्देश्य 70 दुकानों के लिए लाइसेंस देना था। न केवल ऐसे लाइसेंस देने के लिए नियम और शर्तें निर्दिष्ट की गई हैं, बल्कि ऐसे आवेदन दाखिल करने का तरीका और तरीका भी निर्दिष्ट किया गया है। जैसा कि यहां पहले देखा गया था, इसके लिए समय सीमा भी तय की गई थी।

हालाँकि, हमारे लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सोली जे- सोराबजी के इस तर्क को स्वीकार करना कठिन है कि 'वैध अपेक्षा' का सिद्धांत तत्काल मामले में आकर्षित होता है। निर्विवाद रूप से, उक्त सिद्धांत प्रक्रियात्मक या वास्तविक अधिकार का एक स्रोत है। [आर. वी. नॉर्थ एंड ईस्ट डेवोन हेल्थ अथॉरिटी, एकपक्षीय कफ़लान देखें। (2001) क्यू.बी. 213] लेकिन, उक्त सिद्धांत के अनुप्रयोग की प्रासंगिकता यह है कि क्या अपेक्षा वैध थी। व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए ऐसी वैध अपेक्षा का निर्धारण भी आवश्यक था। दावेदारों की धारणाएँ उसके लिए प्रासंगिक नहीं होंगी। राज्य की कार्रवाई निर्विवाद रूप से निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। सुशासन के क्षेत्र में अपनी ओर से गैर- मनमानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। राज्य को प्रदत्त विवेकाधिकार का प्रयोग एक बार फिर मनमाने ढंग से या मनमर्जी से नहीं किया जा सकता। लेकिन जहां नीतिगत निर्णय में बदलाव कानून में वैध है, वहां उसके अनुसरण में या उसके आगे की गई किसी भी कार्रवाई को अमान्य नहीं किया जा सकता है।

राज्य ने अपने विज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा:

> "एल-52 लाइसेंस का अनुदान निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन की स्वीकृति के अधीन होगा जो बिना कोई कारण बताए किसी भी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी भी

लाइसेंस को देने के लिए बाध्य नहीं होगा जिसके लिए आवेदन किया गया है।"

विज्ञापन में दी गई स्पष्ट शर्तों के मद्देनजर, अपीलकर्ताओं को कोई वैध उम्मीद नहीं हो सकती थी कि उन्हें शराब का कारोबार करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। हालाँकि, सुरिंदर कटियाल के मामले में लाइसेंस देने की तारीख डाल दी गई थी। उक्त तिथि स्पष्ट रूप से विज्ञापन में दी गई समय- सीमा को ध्यान में रखते हुए दी गई है। यह किसी ग़लतफ़हमी के तहत किया गया होगा. अधिकारियों की ओर से इस तरह की स्पष्ट गलती उन्हें किसी भी कानूनी अधिकार से वंचित नहीं करेगी। उनका आवेदन दिनांक 10.12.2004 को प्राप्त हुआ था, उक्त आवेदन की प्राप्ति स्वीकार करते हुए कहा गया था कि लाइसेंस 10.1.2005 को जारी किया जायेगा। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसके आवेदन की सामग्री को वैधानिक आवश्यकताओं के आलोक में सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने अपना आवेदन वापस ले लिया ताकि वह आवेदन कर सकें ।एक और विक्रेता. उन्होंने ऐसा आवेदन केवल 8.2.2005 को दायर किया था जिसे राज्य द्वारा अपने पत्र दिनांक 6.5.2005 के संदर्भ में, जैसा कि यहां पहले देखा गया था, स्वीकार कर लिया गया था। उक्त पत्र दिनांक 6.5.2005 में ऐसा कोई वादा नहीं था कि लाइसेंस किसी विशेष तिथि तक प्रदान किया जाएगा। अन्यथा भी, इस तथ्य को ध्यान में

रखते हुए कि बड़ी संख्या में आवेदनों को संसाधित करने के लिए आवश्यक था, उत्तरदाताओं के लिए उस तारीख को निर्दिष्ट करना अस्वीकार्य था जिस पर लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार, यह ऐसा मामला नहीं है जहां वैध अपेक्षा का सिद्धांत आकर्षित होगा।

राज्य ने 7.2.2005 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की। इससे पहले भी, एच राज्य ने अधिसूचित किया था कि केवल वे आवेदन जो प्राप्त हुए थे विभाग पर विचार किया जाएगा और नहीं। अपीलकर्ता, सुरिंदर कटियाल जाहिर तौर पर उन्होंने 8.2.2005 को अपना आवेदन दाखिल किया। फिर भी उनके आवेदन पर कार्रवाई की गयी. इसके संबंध में कुछ पत्र- व्यवहार किए गए थे।

इसमें कोई विवाद नहीं है कि राज्य को बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदनों पर कार्रवाई करना जरूरी था. ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई करते समय प्रस्तावित स्थलों का निरीक्षण किया जाना था उसकी सामग्री को सत्यापित किया जाना आवश्यक था। उक्त प्रयोजन के लिए, आवेदनों की कड़ाई से जांच की जानी आवश्यक थी। (अशोक लेंका (सुप्रा) देखें)

इसलिए, जब तक अपीलकर्ताओं द्वारा कोई अर्जित या निहित अधिकार प्राप्त नहीं किया गया हो, नीतिगत निर्णय बदला जा सकता था।

वर्तमान स्थिति में अर्जित या उपार्जित अधिकार क्या सवाल होगा?

लोक निर्माण निदेशक एवं अन्य बनाम एचओ पीओ संग और अन्य, (1961) एसी 901, प्रिवी काउंसिल ने 9 अप्रैल, 1957 को संशोधित मकान मालिक और किरायेदार अध्यादेश, 1947 के निरसन प्रावधानों के संबंध में उक्त प्रश्न पर विचार किया। यह माना गया कि धारा 3ए से 3ई तक का निरसन, जब आवेदन लंबित रहते थे, कोई अर्जित या निहित अधिकार यह बताते हुए प्राप्त नहीं होता था:

> "संक्षेप में, पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र के लिए दूसरे अपीलकर्ता के आवेदन ने उसे कोई अधिकार नहीं दिया जो कि धारा 3 ए- ई के निरसन के बाद संरक्षित था, लेकिन केवल आशा या अपेक्षा प्रदान की गई कि परिषद में राज्यपाल अपने कार्यकारी या मंत्रिस्तरीय विवेक का प्रयोग करेंगे। उसका पक्ष और पहला अपीलकर्ता उसके बाद एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसी तरह, पुनर्निर्माण प्रमाण पत्र देने के इरादे के नोटिस के पहले अपीलकर्ता द्वारा जारी किए गए मुद्दे ने दूसरे अपीलकर्ता को कोई अधिकार नहीं दिया, जिसे निरसन के बाद संरक्षित किया गया था, लेकिन केवल एक प्रक्रिया शुरू की गई जिसके तहत मामला गवर्नर इन काउंसिल को भेजा जा सकता है। निरसन ने पहले अपीलकर्ता को उसके बाद किसी भी पुनर्निर्माण प्रमाणपत्र जारी करने से वंचित

कर दिया, जहां मामला काउंसिल में गवर्नर को याचिका द्वारा भेजा गया था लेकिन गवर्नर द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था।"

लक्ष्मी अम्मा उर्फ इचुमा अम्मा बनाम डेवेसी, 1970 सीएलटी 204 भी देखें।

हावड़ा नगर निगम और अन्य बनाम गंगा रोप कंपनी लिमिटेड और अन्य [2004] 1 एससीसी 663 में यह सवाल फिर विचार के लिए आया।

"जिसमें इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा जिस संदर्भ में प्रतिवादी कंपनी मंजूरी के लिए निहित अधिकार का दावा करती है और जिसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने स्वीकार कर लिया है, वह "किसी संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे" के संबंध में कोई अधिकार नहीं है, जिसके लिए अभिव्यक्ति "वेस्ट" है आम तौर पर उपयोग किया जाता है। प्रतिवादी कंपनी द्वारा स्थापित "निहित अधिकार" के दावे से हम जो समझ सकते हैं वह यह है कि मंजूरी के लिए आवेदन करने की तारीख और आवंटित निश्चित अवधि पर उनके मामले पर लागू भवन नियमों के आधार पर न्यायालय ने अपने विचार के लिए, मंजूरी प्राप्त करने की "वैध" या "निश्चित अपेक्षा" रखी थी। हमारी सुविचारित राय

में, ऐसी "निश्चित अपेक्षा", यदि कोई हो, ने मंजूरी प्राप्त करने का कोई निहित अधिकार नहीं बनाया है। सच है, कि प्रतिवादी कंपनी जिसका निगम द्वारा मंजूरी के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के तरीके पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, को देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन मंजूरी के लिए उसके आवेदन के लंबित रहने के दौरान, यदि राज्य सरकार, अपने नियम के अभ्यास में- बिजली बनाने, बिल्डिंग नियमों में संशोधन किया और जी.टी. पर इमारतों की ऊंचाई पर प्रतिबंध लगाया। सड़क एवं अन्य वार्डों में ऐसी "निश्चित अपेक्षा" कानून में बदलाव के कारण पूरी होना असंभव हो गया है। कथित "निहित अधिकार" या "निपटाए गए अपेक्षा" पर आधारित दावा वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध स्थापित नहीं किया जा सकता है, जो राज्य सरकार द्वारा भवन नियमों में संशोधन करके लागू किए गए थे, न कि उस निगम द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसा "निहित अधिकार" या " स्थापित अपेक्षा" को लागू करने की मांग की जा रही है। "निहित अधिकार" या "निर्धारित अपेक्षा" को न केवल निगम द्वारा बल्कि राज्य द्वारा भी भवन नियमों में संशोधन करके निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसी "निश्चित अपेक्षा" या तथाकथित "निहित

अधिकार" को सार्वजनिक हित और सुविधा के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है, जिसे भवन नियमों में संशोधन और उसके बाद जारी किए गए निगम के संकल्प द्वारा पूरा करने की मांग की जाती है।"

भारत संघ और अन्य बनाम भारतीय चार्ज क्रोम और अन्य [1999] 7 एससीसी 314, फिर से इस न्यायालय ने जोर दिया

"...आवेदन पर पंजीकरण देने वाले प्राधिकारी की तारीख पर लागू कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए। पंजीकरण के लिए प्रार्थना में अपना दिमाग लगाने के लिए कहा जाता है..."

एस.बी. में इंटरनेशनल लिमिटेड, और अन्य बनाम सहायक विदेश महानिदेशक व्यापार और अन्य [1996] 2 एससीसी 439 इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिकारी अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकते हैं, अर्थात अग्रिम लाइसेंस जारी करने में देरी, यह कहते हुए

"...हमने यहां पहले उल्लेख किया है कि इन लाइसेंसों को जारी करना एक औपचारिकता नहीं है और न ही केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य है, बल्कि इसके लिए सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उचित सत्यापन और संतुष्टि की आवश्यकता होती है..."

इस प्रकृति के मामले में जहां राज्य के पास विशेष विशेषाधिकार है और नागरिक को शराब का कारोबार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, हमारी राय में, जो नीति लागू होगी वह वही होगी जो अनुदान की तिथि पर प्रचलित हो, न कि जिस पर आवेदन दाखिल किया गया था। यदि 16.9.2005 को एल-52 लाइसेंस न देने का नीतिगत निर्णय लिया गया होता, तो उक्त तिथि के बाद कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था।

किसी भी स्थिति में वह अवधि जिसके लिए अपीलकर्ताओं को लाइसेंस निर्देशित किया जा सकता था, समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार, यह न्यायालय अगले वर्ष के लिए लाइसेंस देने का निर्देश केवल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कुछ लाइसेंस 9 मार्च, 2005 के बाद दिए गए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा रखता है। अवैधताओं में समानता का दावा नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार शर्मा, (2006) 3 एससीजे 713 हमने यहां पहले भी देखा है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि उन लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिन्हें उक्त तिथि के बाद लाइसेंस प्रदान किया गया था। हमारा इस संबंध में कोई और टिप्पणी करने का इरादा नहीं है और यह सच है कि कुछ लाइसेंस दिए गए थे लेकिन यह अपने आप में परमादेश रिट जारी करने का आधार नहीं हो सकता खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं

के पास इसके संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उपरोक्त कारणों से हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती। इसके अलावा लाइसेंस देने के लिए आवेदन देने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। हम इन अपीलों को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं अपीलें खारिज इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि अधिकारी अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकते हैं, अर्थात अग्रिम लाइसेंस जारी करने में देरी, यह कहते हुए।

"...हमने यहां पहले उल्लेख किया है कि इन लाइसेंसों को जारी करना एक औपचारिकता नहीं है और न ही केवल एक मंत्रिस्तरीय कार्य है] बल्कि इसके लिए सभी प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उचित सत्यापन और संतुष्टि की आवश्यकता होती -------- इस प्रकृति के मामले में जहां राज्य के पास विशेष विशेषाधिकार है और नागरिक को शराब का कारोबार करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, हमारी राय में, जो नीति लागू होगी वह वही होगी जो अनुदान की तिथि पर प्रचलित हो, न कि जिस पर आवेदन दाखिल किया गया था। यदि 16.9.2005 को एल-52 लाइसेंस न देने का नीतिगत निर्णय लिया गया होता, तो उक्त तिथि के बाद कोई लाइसेंस नहीं दिया जा सकता था। किसी भी स्थिति में वह अवधि जिसके लिए अपीलकर्ताओं को लाइसेंस निर्देशित किया जा सकता था, समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार, यह न्यायालय अगले वर्ष के लिए लाइसेंस देने का निर्देश केवल इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि कुछ लाइसेंस 9

मार्च,2005 के बाद दिए गए थे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 एक सकारात्मक अवधारणा रखता है। अवैधताओं में समानता का दावा नहीं किया जा सकता, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज कुमार शर्मा, (2006) 3 एससीजे 713 हमने यहां पहले भी देखा है, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिए गए बयान में कहा गया है कि उन लाइसेंसधारियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए कदम उठाए जाएंगे जिन्हें उक्त तिथि के बाद लाइसेंस प्रदान किया गया था। हमारा इस संबंध में कोई और टिप्पणी करने का इरादा नहीं है। और यह सच है कि कुछ लाइसेंस दिए गए थे, लेकिन यह अपने आप में परमादेश रिट जारी करने का आधार नहीं हो सकता खासकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ताओं के पास इसके संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उपरोक्त कारणों से हमें इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं मिलती। इसके अलावा लाइसेंस देने के लिए आवेदन देने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। हम इन अपीलों को खारिज करते हैं। कोई लागत नहीं।

अपीलें खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ललिता कुमारी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।